माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
ई–मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in
☎ : कार्या:– (0755) 2551650, फैक्स – (0755) 2552061

क्रमांक /2677 /प.स. /2022 भोपाल दिनांक 23 /12/2022

प्रति,

कलेक्टर,
जिला–.......................................मध्यप्रदेश।

विषयः–शिक्षण सत्र 2022–23 की आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिये केन्द्राध्यक्षों, सहायक केन्द्राध्यक्षों एवं पर्यवेक्षकों का चयन एवं नियुक्ति बाबत्।

––//––

मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा प्रति वर्ष विभिन्न परीक्षायें हाईस्कूल, हायर सेकण्डरी, हायर सेकण्डरी व्यावसायिक, विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा (DPSE) एवं शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षा आयोजित की जाती हैं। इन परीक्षाओं के लिये चयनित किये गये परीक्षा केन्द्रों पर केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्षों एवं पर्यवेक्षकों का चयन किया जाना है। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के लिये एक केन्द्राध्यक्ष, तथा परीक्षावार सहायक केन्द्राध्यक्षों की आवश्यकता होगी।

केन्द्राध्यक्षों/सहायक केन्द्राध्यक्षों एवं पर्यवेक्षकों का परीक्षावार चयन का कार्य कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाये। कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति निम्नानुसार रहेंगी :–

(1)	कलेक्टर	–	अध्यक्ष
(2)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	–	सदस्य
(3)	जिला शिक्षा अधिकारी	–	सचिव सदस्य
(4)	सहायक आयुक्त,/जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण।	–	सदस्य
(5)	प्राचार्य शास. उत्कृष्ट उमावि (समन्वयक संस्था)	–	सदस्य
(6)	संभागीय अधिकारी, मा.शि.मण्डल, म.प्र.	–	सदस्य
(7)	मण्डल सदस्य (जिले में निवासरत)	–	सदस्य

तद्नुसार चयनित केन्द्राध्यक्ष तथा सहायक केन्द्राध्यक्षों को नियुक्ति पत्र भी संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर से एवं आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के लिए सहायक आयुक्त/जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण, के हस्ताक्षर से जारी किया जाये। जारी किये जाने वाले नियुक्ति पत्र का प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है। समिति द्वारा चयन के मापदण्ड **परिशिष्ट "अ"** अनुसार होंगे।

जिले के NIC केन्द्र से सम्पर्क कर दिनांक 15.01.2023 तक तकनीकी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जावे। समिति द्वारा चयनित नामों का NIC के माध्यम से विकासखण्ड स्तर पर रेण्डम पद्धति से परीक्षा केन्द्रों पर केन्द्राध्यक्षों एवं सहायक केन्द्राध्यक्षों की नियुक्ति की जावे। साथ ही यह सुनिश्चित किया जावे कि, परीक्षा केन्द्र पर नियुक्त केन्द्राध्यक्षों/सहायक केन्द्राध्यक्ष उसी परीक्षा केन्द्र संस्था का न हो, और न ही उसकी संस्था के छात्र/छात्रायें उक्त केन्द्र से परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हों, जिस संस्था के केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्षों एवं पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया हो।

अतः केन्द्राध्यक्षों/सहायक केन्द्राध्यक्षों की केन्द्रवार विकासखण्ड रेण्डम पद्धति द्वारा 10 फरवरी 2023 तक अनिवार्यतः नियुक्ति कर ली जावे। उपरोक्त निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप केन्द्राध्यक्ष /सहायक केन्द्राध्यक्षों का चयन करने के उपरांत आपके जिले से संबंधित केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष (**दोनों के मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल एड्रेस सहित**) की सूची गोपनीय सामग्री वितरण के समय उपस्थित मण्डल प्रतिनिधि को एवं एक्सल शीट पर मण्डल मुख्यालय को ई–मेल regconf.mpbse@ mp.gov.in द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न–1–जिले का केन्द्र चार्ट ।
2–मण्डल सदस्यों की सूची।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश,भोपाल

2

पृष्ठांकन क्रमांक/2678/प.स./2022 भोपाल, दिनांक: 23/12/2022

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल।
2. नि.स.– अध्यक्ष/सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल।
3. समस्त पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
5. समस्त मण्डल सदस्य, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश।
6. आंचलिक/समस्त संभागीय अधिकारी, मध्यप्रदेश, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
8. समस्त संभागीय उप आयुक्त/सहा.क आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र.।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लिखा जाता है कि केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष की पत्र में लिखे अनुसार सूची मण्डल को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. समस्त प्राचार्य, जिला उत्कृष्ट उ.मा.विद्यालय, मध्यप्रदेश।
11. समस्त प्राचार्य, जिला समन्वयक संस्था, मध्यप्रदेश।
12. समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, मध्यप्रदेश।
13. समस्त विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश,भोपाल

केन्द्राध्यक्ष / सहायक केन्द्राध्यक्ष एवं पर्यवेक्षकों का चयन संबंधी मापदण्ड

1. **समन्वयक संस्था प्राचार्य को प्रायोगिक परीक्षा उत्तरपुस्तिका सैद्धांतिक उत्तरपुस्तिका एवं गोपनीय सामग्री का वितरण कार्य एवं मूल्यांकन निर्धारित समय से प्रारंभ करने का दायित्व होता है। अतः मूल्यांकन अधिकारी / सहायक मूल्यांकन अधिकारी को मण्डल परीक्षाओं केन्द्राध्यक्ष / सहायक केन्द्राध्यक्ष के रूप में चयन न किया जाए।**
2. वर्ष 2022 की परीक्षा में जिन परीक्षा केन्द्रों पर सामूहिक नकल की घटना हुई है तो ऐसे परीक्षा केन्द्रों पर तत्समय नियुक्त केन्द्राध्यक्ष को वर्ष 2023 की परीक्षाओं के लिए पुनः केन्द्राध्यक्ष का चयन नहीं किया जावें।
3. यदि किसी परीक्षा केन्द्र पर हायर सेकेण्डरी एवं हाईस्कूल दोनों परीक्षाओं का संचालन हो रहा है वहाँ केन्द्राध्यक्ष हायर सेकेण्डरी स्कूल के प्राचार्य स्तर का केन्द्राध्यक्ष नियुक्त किया जावेगा, अतः ऐसे प्राचार्यो का चयन अवश्य किया जावे, जो हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी संस्था के प्राचार्य है।
4. प्राचार्य स्तर के अधिकारी की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में वरिष्ठ व्याख्याता को केन्द्राध्यक्ष बनाया जाने हेतु चयन किया जावे।
5. केन्द्राध्यक्ष / सहायक केन्द्राध्यक्ष के चयन में शासकीय विद्यालय के प्राचार्यो / व्याख्याताओं को प्राथमिकता दी जाए।
6. परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राध्यक्ष चयन करते समय किसी जिले में प्राचार्य / व्याख्याता की उपलब्धता न हो तो उच्च माध्यमिक शिक्षक को केन्द्राध्यक्ष के रूप में चयनित किया जा सकता है।
7. सहायक केन्द्राध्यक्षों के चयन में शासकीय विद्यालयों के वरिष्ठ व्याख्याताओं / व्याख्याताओं को प्राथमिकता दी जाए, उपलब्धता न होने की दशा में केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति के मापदण्ड बिन्दू (5) अनुसार सहायक केन्द्राध्यक्ष हेतु उच्च माध्यमिक शिक्षक को भी सहायक केन्द्राध्यक्ष के रूप में चयन किया जा सकता है।
8. परीक्षा के सुचारु रूप से संचालन हेतु प्रत्येक परीक्षा केन्द्र में एक सहायक केन्द्राध्यक्ष उसी परीक्षा केन्द्र में कार्यरत व्यख्याता हो।
9. यदि किसी केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष से कनिष्ठ है, तो ऐसी स्थिति में वरिष्ठता के आधार पर केन्द्राध्यक्ष मान्य किया जाये।
10. यदि डाटा एन्ट्री की त्रुटि के कारण एक ही केन्द्राध्यक्ष एक से अधिक केन्द्रों पर नियुक्त हो गये है, तो ऐसी स्थिति में भी रिजर्व सूची से जिला कलेक्टर अनुमोदन उपरान्त आवश्यक परिवर्तन किया जाये। जिसकी सूचना मण्डल को भी अवश्य दी जाये।
11. यदि किसी महिला केन्द्राध्यक्ष / सहायक केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति ब्लॉक से बाहर किसी केन्द्र पर की गई है तो ऐसी स्थिति में वैकल्पिक केन्द्राध्यक्ष रिजर्व सूची से लेते हुये जिला कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात् परिवर्तन की कार्यवाही की जाये। निःशक्त अथवा बीमार व्यक्ति की ड्युटी लग जाने की स्थिति में भी वैकल्पिक केन्द्राध्यक्ष रिजर्व सूची से लेते हुये जिला कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात् परिवर्तन की कार्यवाही की जाये।
12. पर्यवेक्षकों के चयन हेतु शासकीय संस्था के कार्यरत शिक्षकों को प्राथमिकता से चयन किया जावे। जिले में कार्यरत महिला शिक्षकों का चयन अवश्य किया जावे, जिससे जिस केन्द्र पर छात्राएँ परीक्षा में सम्मिलित हो रही है, उन केन्द्रों पर उनकी नियुक्त किया जा सके।

परीक्षा नियंत्रक
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश,भोपाल

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त / जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण
जिला...(मध्यप्रदेश)

क्रमांक /   /2022   दिनांक   /   /2022

प्रति,
श्री / श्रीमती / सुश्री ....
.... उ.मा.वि ....
जिला .... (म.प्र.)

परीक्षा केन्द्र क्रमांक :
परीक्षा केन्द्र का नाम :
तहसील   जिला

विषयः– हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी एवं हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक परीक्षा हेतु केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष का नियुक्ति पत्र।

––00––

(1) वर्ष 2023 की परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्र के लिये जिला चयन समिति के निर्णय अनुसार केन्द्राध्यक्ष / सहायक केन्द्राध्यक्ष के रूप में आपको नियुक्त किया जाता है।

केन्द्राध्यक्ष / सहायक केन्द्राध्यक्ष के रूप में आपके अधिकार व कर्त्तव्यों के संबंध मे मार्गदर्शी सिद्वांत संलग्न है। केन्द्राध्यक्ष / सहायक केन्द्राध्यक्ष का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्वरूप का है। अतः आपको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन अपनी पूरी योग्यता से करना है। विशेष रूप से आपको यह सुनिश्चित करना है कि केन्द्र पर बोर्ड परीक्षा निर्विघ्न रूप से शांतिपूर्वक सम्पन्न हो। परीक्षा केन्द्र पर नकल न हो पाये ताकि परीक्षा की विश्वसनीयता बनी रहे। परीक्षा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि केन्द्राध्यक्ष अथवा सहायक केन्द्राध्यक्ष ही स्वयं प्रश्नपत्र लाने का कार्य करें। इस संवेदनशील कार्य को किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यायोजित नहीं किया जाए। इसी प्रकार उत्तरपुस्तिका निर्धारित स्थान पर जमा करने का कार्य भी केन्द्राध्यक्ष अथवा सहायक केन्द्राध्यक्ष ही स्वयं सम्पन्न करें।

) मण्डल के परीक्षा संबंधी कार्यो को मध्यप्रदेश अनिवार्य सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 अंतर्गत अनिवार्य सेवा घोषित किया गया है। अतः इस नियुक्ति पत्र का पालन करना उक्त अधिनियम के तहत आपके लिये बंधनकारी है।

(3) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि केन्द्राध्यक्ष / सहायक केन्द्राध्यक्ष के रूप में परीक्षा संबंधी कार्य में आपके केन्द्र पर यदि कोई गंभीर शिकायत प्राप्त होती है, तो सर्वप्रथम एवं मुख्य रूप से आपको ही जिम्मेदार माना जावेगा। तदानुसार अविलम्ब समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा की जावेगी, जिसमें निलंबन भी शामिल है। आशा है, आप ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देंगे। अतः मण्डल द्वारा इस वर्ष 2022–23 की मण्डल परीक्षाओं के लिये जारी केन्द्राध्यक्ष की निर्देश पुस्तिका में उल्लेखित अपने अधिकार एवं कर्त्तव्यों का भली–भांति अध्ययन करें।

पदमुद्रा

हस्ताक्षर
पूरा नाम –..
जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त / जिला संयोजक
आदिम जाति कल्याण, जिला

प्रतिलिपिः–
1. संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला ....को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. थाना प्रभारी, थाना / जिला .... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्राचार्य जिला समन्वयक संस्था को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

माध्यमिक शिक्षा मण्डल के मान. मण्डल सदस्यों की सूची

क्रं.	अशासकीय मान. सदस्यों के नाम, पद एव पते	मोबाईल नं.
1	श्री विक्रम सिंह, मान. विधायक, गोविन्द भवन, वार्ड नं 6, कुर्मिहर टोला, रामपुर बघेलान, जिला सतना, म.प्र.	7982610053
2	श्री राम दांगोरे, मान. विधायक, ग्राम बड़िया, पोस्ट खारवा, तह. पन्धाना, जिला खण्डवा, म.प्र.	9424881777
3	श्री उमाकांत शर्मा, मान. विधायक, गणेश की अथाई, वार्ड नं. 19 सिरोंज, जिला विदिशा, म.प्र.	8959711525
4	श्री विष्णु खत्री, मान. विधायक, म. नं. 149, ओमशिव नगर, लालघाटी, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश।	9425005041
5	श्रीमती मनीषा सिंह, मान. विधायक, वार्ड नंबर 6, सरस्वती स्कूल के पास, पाण्डव नगर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश।	8120236009
6	श्रीमती निशा महाराणा, प्राचार्य, सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय, संजीत मार्ग, मंदसौर, म.प्र.	9425949486
7	श्री संजय उपाध्याय, प्राचार्य, अशासकीय सरस्वती विद्या मंदिर उ.मा.विद्यालय, हरदा, जिला हरदा, म.प्र.	9926372426
8	श्रीमती प्रभा मिश्रा, प्राचार्य, शा.म.ल.कन्या उ.मा.वि. नेपियर टाउन, जबलपुर, जिला जबलपुर, म.प्र.	9424743244
9	श्री प्रवीण पाराशर, व्याख्याता, सरस्वती शिशु मंदिर, आगर मालवा –465441 जिला आगर मालवा,म.प्र.	9977160604
10	श्री मनोज सर्राफ, सहा. प्राध्यापक, 76, नाकोडा नगर, भण्डारिया रोड, खण्डवा–450001 जिला खण्डवा, म.प्र.	9827293998
11	श्री विवेक वर्मा, व्याख्याता, 16/28, माहोर कॉलोनी, मुरैना, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश	9827628662
12	श्री चन्द्रशेखर गढवाल, व्याख्याता, बी.आर.सी. आफिस के सामने आवास कालोनी, बनखेडी जिला होशंगाबाद–461990, म.प्र.	9993561114
13	डॉ. राकेश कुशवाह, व्याख्याता, म.न. 3340, राय बेकरी के पास, शंकर नगर, बड़ा पत्थर, रांझी, जबलपुर, मध्यप्रदेश।	6261292953
14	श्रीमती धुरपता मर्सकोले, व्याख्याता, सिविल लाईन, खैरलांजी वार्ड नंबर 1, बालाघाट जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश	7770867527
15	श्री श्रीनिवास राव, फ्लेट नं. 10 एवं 11, चतुर्थ फ्लोर, गंगोत्री अपार्टमेन्ट, गोलबाजार, शहीद स्मारक, जबलपुर, मध्यप्रदेश।	9425152264
16	श्री शिरोमणि दुबे, प्रबंध समिति सचिव, दलवी कॉलोनी, अल्फा स्कूल के पास गुना, जिला गुना, म.प्र।	9425191526
17	श्री नीरज खरे, प्रबंध समिति सचिव, 7/444 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बोदाबाग, रीवा, जिला रीवा–486001 मध्यप्रदेश	9752715052
18	श्री सत्यनारायण लववंशी, 753 आर्शीवाद नगर, वार्ड कमांक 32, संतोषी माता मंदिर के पीछे, जिला खंडवा, म.प्र.।	8882935403 9827788081
19	श्री रामकुमार भावसार, 1806, हर्षवर्धन नगर, माता मंदिर के पास, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश	9926418800
20	डॉ एस.एस. कुशवाह, कुल सचिव, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, एयरपोर्ट रोड,गांधी नगर, भोपाल, म.प्र.।	---
21	श्री रामकुमार व्यास, सरस्वती वि.मंदिर, दीनदयाल कॉलोनी, बैरसिया रोड, भोपाल	8839243044